सत्यमेव जयते

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

फेझ-1,बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, फिल्म डिविजन कॉम्पलेक्स,डॉ.गोपालराव देशमुख मार्ग, पेडर रोड, मुंबई-400026
PHASE-1, 9TH FLOOR, FILMS DIVISION COMPLEX, DR.G.DESHMUKH MARG, MUMBAI - 400026

सः ए-12018/1/2026-प्रशा   दिनांक. 01.01.2026

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एमटीएस के पद के लिए भर्ती नियमों (RRs) में संशोधन - संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार, कार्यालय ज्ञापन सं.एबी-14017/61/2008-स्था(आर.आर) दिनांक 13.10.2015 के तहत, भर्ती नियमों को बनाने/संशोधन करने का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर 30 दिनों के लिए अपलोड किया जाना है ताकि हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जा सकें।

तदनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एमटीएस पद के लिए भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को हितधारकों की जानकारी के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वेबसाइट cbfcindia.gov.in पर अनुलग्नक- 1 के अनुसार अपलोड किया गया है।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे भर्ती नियमों के मसौदे को पढ़ें और अगर कोई टिप्पणी हों, तो वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख से एक महीने के अंदर अधोहस्ताक्षरी को भेजें। अगर निर्धारित समय में कोई टिप्पणी नहीं मिलते हैं, तो यह मंत्रालय उपर्युक्त भर्ती नियमों के मसौदे में बदलाव के लिए जरूरी कार्रवाई करेगा।

01/1/2026

(दीपा सुब्रमणियन)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई
दूरभाष 022-23510479
ईमेल : sraomum.cbfc@gov.in

सेवा में,

1. सभी हितधारकों को वेबसाइट के जरिए
2. वेबसाइट में 30 दिनों के लिए अपलोड करने हेतु

नियम में मौजूदा प्रावधानों और भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधनों का तुलनात्मक विवरण

1 (क)	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ
(ख)	विभाग का नाम	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
2	भर्ती नियम पर आयोग द्वारा दी सलाह की संदर्भ संख्या	लागू नहीं
3.	मूल नियमों और बाद के संशोधनों की अधिसूचना की तारीख (मूल नियमों और बाद के संशोधनों की प्रति चिह्नित और संदर्भ के साथ संलग्न होनी चाहिए)	जीएसआर 142 दिनांक 30.12.1994

क्र सं	अनुसूची	भर्ती नियम में मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन प्रस्ताव का कारण
1.	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ	मल्टी टास्किंग स्टाफ	--
2.	पदों की संख्या	30	27 (मौजूदा पदों के अनुसार)	पद समाप्ति के कारण
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग वर्ग-अराजपत्रित गैर-मंत्रालय	सामान्य केंद्रीय सेवा ग वर्ग-अराजपत्रित गैर-मंत्रालय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा सं एबी-14017/6/2009-स्था(आरआर) दिनांक 30/4/2010
4.	पे बैंड और ग्रेड पे/ पे लेवल	775-12-995-द.रो-14-1025	लेवल–1 (18000-56900)	7वें वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	क्या CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत अतिरिक्त वर्षों की सेवा का लाभ स्वीकार्य है सीधी भर्ती के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं	
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष के बीच नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18-25 वर्ष के बीच नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा सं एबी-14017/6/2009-स्था(आरआर) दिनांक 30/4/2010 के अनुसार (मॉडल भर्ती नियम का पालन किया गया)

		प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा जाता है।	मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)।	
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	आवश्यक: 8वीं कक्षा पास	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा सं एबी-14017/6/2009-स्था(आरआर) दिनांक 30/4/2010
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी?	लागू नहीं	लागू नहीं	
10.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष	दो वर्ष	
11.	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती हो या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	
12	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में, जिन ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	लागू नहीं	लागू नहीं	
13	अगर विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या होगी?	लागू नहीं	'ग' वर्ग में स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा सं एबी-14017/6/2009-

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(विशिष्ट संरचना बताई जाएगी)

'ग' वर्ग विभागीय पदोन्नति समिति (केवल स्थायीकरण के लिए):<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रादेशिक अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व.प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अवर सचिव/डेस्क अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उप निदेशक (मीडिया और संचार इकाई)/ सहायक निदेशक (मीडिया और संचार इकाई) प्रेस सूचना ब्यूरो</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td><td>स्था(आरआर) दिनांक 30/4/2010</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी होती है</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td></td></tr>
</table>